राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, वित्त (नियम) विभाग (0141-2374671)

कमांक :-एफ4(13) / मृ. / वित्त / नियम / 175 / 2024 /

दिनांक:-

परिपत्र

Modified Assured Career Progression Scheme (MACP) के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा जारी परिपन्न कमांक F4(13)Finance/Rules/175/2023/6554 दिनांक 12.12.2023 के बिन्दू संख्या 3 (i) से (iii) में MACP का लाभ दिये जाने पर वेतन निर्धारण के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-

The first MACP, wherever admissible in terms of these regulations to employees of Class-IV/Ministerial/Subordinate Service, shall be the Pay Level of the next promotion post in the same service/cadre;

Provided that in case there is no promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the first MACP shall be the Pay Level corresponding to his Pay Level of the post or ACP held as specified in sub-regulation (5).

The second MACP, wherever admissible, in terms of these regulations to employees of Class-IV/Ministerial/Subordinate Service, shall be the Pay Level of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre;

Provided that in case the second promotion, post available in the same service/cadre carries a Pay Level higher than the Pay Level L-14 or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the second MACP shall be the Pay Level corresponding to his Pay Level of the post held or the ACP, as specified in sub-regulation (5).

The third MACP, wherever admissible, in terms of these regulations to employees of Class-IV/Ministerial/Subordinate Service, shall be the Pay Level of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre:

Provided that in case the third promotion, post available in the same service/cadre carries a Pay Level higher than the Pay Level L-14 or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employees does not possess academic qualifications prescribed for promotion or in respect of the isolated posts, the third MACP shall be the Pay Level corresponding to his Pay Level of the post held or the ACP, as specified in sub-regulation (5).

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जो कार्मिक अपने संवर्ग में पदौन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता रखता है, को ही MACP का लाभ दिये जाने पर पदौन्नति पद का वेतन देय होगा।

यह देखने में आया है कि निगम के कुछ आगारों में MACP हेतु गठित समितियों द्वारा पदौन्नति पद की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने वाले कार्मिकों को भी पदौन्नति पद के लेवल में वेतन का निर्धारण किया जा रहा है जिससे निगम को आर्थिक हानि हो रही है एवं भविष्य में न्यायिक वाद उन्पन्न होने की सम्भावना है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि जो कार्मिक अपने संवर्ग में पदौन्नित पद की शैक्षणिक योग्यता रखता है, को ही MACP का लाभ दिये जाने पर पदौन्नति पद की वेतन श्रृंखला में वेतन का निर्धारण किया जावे। पूर्व में किये गये त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारणों को संशोधित कर सम्बन्धित से नियमानुसार वसूली किया जाना भी सुनिश्चित् किया जावे।

> (रामगोपाल पारीक) वित्तीय सलाहकार दिनांक:- 17/05/24

क्रमांक :-एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/175/2024/1973

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मृ0, जयपूर।

- कार्यकारी निदेशक (2.) रा.रा.प.प.निगम, मु०, जयपुर।
- महा प्रबन्धक / संयुक्त महा प्रबन्धक (3.) रा.रा.प.प.निगम, मु०, जयपुर।
- उप महाप्रबन्धक / कार्यकारी प्रबन्धक(4.) रा.रा.प.प.निगम, मु०, जयपूर।
- 5. उप महाप्रबन्धक (आई.टी) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मु0, जयपुर। 6.
- जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.नि....जोन। 7.
- मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी के०का०..... 8.
- 10.

मुख्य प्रबन्धक /प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प.निगम, Signature valid

Digitally signed by F Pareek Designation 📆 al Advisor Date: 2024.05. 7:12:27 IST Reason: Approved



7189886